(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2311–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–6–16 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील धार जिला धार प्रकरण कमांक 13/अ–13/2014–15.

1– सौरमबाई पति देवकरण
निवासी ग्राम गुलवा
तहसील व जिला धार
2– अंतरबाई पति लक्ष्मीनारायण
निवासी ग्राम रानीपुरा
तहसील व जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– सौरमबाई पति गोपीचंद
2– देवकरण पिता नारायण
निवासीगण ग्राम गुलवा
तहसील व जिला धार
3– लक्ष्मीनारायण पिता सालीगराम
निवासी ग्राम रानीपुरा
तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील धार जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 सौरमबाई पति गोपीचंद द्वारा तहसीलदार तहसील धार जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम देदला स्थित सर्वे कमांक 1075 रकबा 1.644 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जिस पर आने–जाने एवं कृषि उपकरण ट्रेक्टर, ट्राली आदि लाने–ले जाने का पुराना वहीवटी रास्ता आवेदिका कमांक 1 की भूमि सर्वे नम्बर 1074/1/2 की मेढ़ से होकर सर्वे नम्बर 1074/2/2 की दक्षिणी मेढ़ से गाडी गडार रास्ता होकर सर्वे नम्बर 1074/1/2 व सर्वे नम्बर 1077/8, सर्वे नम्बर 1187 की मेढ़ से है, जिसे अनावेदकगण द्वारा ट्रेक्टर से फाड़ कर अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–13/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण संहिता की धारा 32 व व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 151, आदेश 8 नियम 1 सहपठित धारा 151, आदेश 14 नियम 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–6–16 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की राजस्व न्यायालयों के लिए प्रकिया एवं नियम बनाये गये हैं, जिसके नियम 18 के अन्तर्गत सकारण आदेश पारित किया जाना चाहिए, मात्र सहमत अथवा अस्वीकार आदेश की परिभाषा में नहीं आता है ।

(2) अनावेदिका कमांक 1 द्वारा जिस रास्ते के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है, उसी के सम्बन्ध में पूर्व में कार्यवाही की गई थी, जिसका प्रकरण कमांक 13/2006–07/अ–13 कायम हुआ था, जिसमें स्वयं उसके द्वारा वैकल्पिक मार्ग होना स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में अनावेदिका कमांक 1 द्वारा की जा रही कार्यवाही असत्य हो जाती है ।

(3) दिनांक 26–9–2015 को पटवारी द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिसमें आवेदकगण की भूमि से कोई मार्ग नहीं पाया गया है ।

(4) अनावेदिका कमांक 1 ने जमीन बिकी ली थी, उक्त भूमि के विकय पत्र में अन्य मार्ग का उल्लेख है, किन्तु अनावेदिका कमांक 1 ने तहसील न्यायालय में तथ्यों को छिपाकर कार्यवाही की जा रही थी, अतः आवेदकगण द्वारा अपने जवाब में उन सब बातों को जोड़ने की याचना की गई थी कि असल डीड अनावेदिका कमांक 1 से पेश करायें, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा इस ओर बिना ध्यान दिये आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(6) तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही से रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त में बाधा आती है ।

तर्कों के समर्थन में 2017 आर.एन. भाग 1 पेज 88 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर आने–जाने एवं कृषि उपकरण लाने–ले जाने का रास्ता सर्वे नम्बर 1209 शासकीय पट्टेदार रानीबाई की भूमि सर्वे नम्बर 1209/5 से होकर मोतीसिंह की भूमि सर्वे नम्बर 1074/2/2 के दक्षिण पूर्व कोने से इसी सर्वे नम्बर की दक्षिणी मेढ़ एवं अनावेदक कमांक 3 लक्ष्मीनारायण की भूमि सर्वे नम्बर 1187 की उत्तरी मेढ़ के मध्य होते हुए आवेदिका कमांक 2 अंतराबाई की भूमि सर्वे नम्बर 1177/8 की पूर्वी मेढ़ एवं आवेदिका कमांक 1 सौरमबाई की भूमि सर्वे नम्बर 1074/1/2 की पश्चिनी मेढ़ से है ।

(2) आवेदिका कमांक 1, आवेदिका कमांक 2 अंतरबाई, अनावेदक कमांक 2 देवकरण एवं अनावेदक कमांक 3 लक्ष्मीनारायण द्वारा अनावेदिका कमांक 1 की जमीन हथियाने एवं उसे परेशान करने के उद्देश्य से अनावेदिका कमांक 1 की कृषि भूमि पर आने–जाने के मार्ग को अवरूद्ध कर दिये जाने से अनावेदिका कमांक 1 द्वारा वर्ष 2015 से अब तक कोई फसल नहीं ले पाई है, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है ।

(3) आवेदिका कमांक 1, आवेदिका कमांक 2 अंतरबाई, अनावेदक कमांक 2 देवकरण एवं अनावेदक कमांक 3 लक्ष्मीनारायण द्वारा अपने धन व प्रभाव का इस्तेमाल कर तहसील न्यायालय के समक्ष नित्य नये–नये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रास्ता नहीं खुलवाये जाने का प्रयास कर रहे हैं ।

(4) तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण में सम्पूर्ण प्रकिया हो चुकी है, किन्तु आवेदकगण द्वारा प्रकरण को लम्बान डालने के उद्देश्य से एक और साक्ष्य पेश करने का अवसर मांगा गया है ।

(5) आवेदकगण द्वारा जिन आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उन आधारों का अनावेदिका क्रमांक 1 का कोई लेना–देना नहीं है । अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा बार–बार न्यायालय के समक्ष इस विचारण कार्यवाही के अलावा कोई कार्यवाही नहीं बताया है और उसके द्वारा इस कार्यवाही के अतिरिक्त कोई कार्यवाही इस न्यायालय के अतिरिक्त पेश नहीं की गई है ।

(6) आवेदकगण द्वारा यह निगरानी मात्र प्रकरण को लम्बान डालने और अनावेदिका क्रमांक 1 को आर्थिक नुकसान पहुचाने एवं उसकी जमीन को सस्ते दामों में हथियाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अति संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित कर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है । तहसीलदार को चाहिए था कि वे आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्रों के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए सकारण, बोलता हुआ आदेश पारित करते । अतः प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाना उचित होगा कि वे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के संबंध में सकारण आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील धार जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–16 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर